

सो 14/एम 11-01/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी  
कैंसर इंस्टीच्युट,  
सीजी सीटी सुल्तानपुर रोड,  
लखनऊ-226002

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                  | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3             | 4              |                 |
| 1       | नंदनी देवी<br>पति- ब्रजेश कुमार यादव<br>ग्राम- इग्लिश<br>पो- फरका<br>थाना- राबौर<br>जिला- भागलपुर | कैंसर रोग     | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। |
|         |                                                                                                   |               | ₹ 1,00,000 /   |                 |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000 / (एक लाख) रूपया का क्रास चेक सं० 196883 .....  
... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1173(14)

पटना, दिनांक

29/4/2025

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक.. .

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                    | बीमारी का नाम            | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                | 3                        | 4              | 5                                        |
| 1       | भव्या कुमारी<br>पिता- रोहित कुमार खॉ<br>ग्राम+पो0+थाना- बनगांव<br>जिला- सहरसा<br>यूएचआईडी नं0- 108086193                         | कैंसर रोग                | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।                          |
| 2       | अमन कुमार<br>पिता- शंकर साव<br>ग्राम+पो0- अकौनि वार्ड 05<br>थाना- रफीगंज<br>जिला- औरंगाबाद<br>यूएचआईडी नं0- 107559470            | पेडिएट्रिक रोग<br>जेडीएम | 65,000         | पैंसठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 3       | शिवांश उपाध्याय<br>माता- बबली कुमारी<br>ग्राम- मझौली<br>पो0- सोहरा<br>थाना- कृष्णागढ़<br>जिला- भोजपुर<br>यूएचआईडी नं0- 107494457 | कैंसर रोग                | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।     |
|         |                                                                                                                                  |                          | 2,65,000       |                                          |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,65,000/- (दो लाख पैंसठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176887 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10874588593,

खाता धारक का नाम— AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार— चालू, बैंक का नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड स0—SBIN 0001536 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1168(14)

पटना, दिनांक

29/4/2025

**प्रतिलिपि**— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 17688.7 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि**— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) / आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
असारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक ..

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                              | बीमारी का नाम                 | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                          | 3                             | 4              | 5                           |
| 1       | हरि प्रसाद<br>पिता- पनि राम<br>ग्राम- मोहर टोला दरियापुर<br>गोला<br>पो0- बाकीपुर<br>थाना- पीरबहोर<br>जिला- पटना<br>यूएचआईडी नं0- 106518198 | हृदय रोग<br>सीएडी /<br>टीभीडी | 1,20,000       | एक लाख बीस हजार<br>स्वीकृत। |
|         |                                                                                                                                            |                               | 1,20,000       |                             |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196881... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0- 10874584269, खाता धारक का नाम-"AIIMS ANGIOGRAPHY PATIENT'S' ACCOUNT" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड स0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1169(14)

पटना, दिनांक 29/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196884 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ सभी संबंधित मरीजों /आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक/अधीक्षक

इंस्टीच्युट आफ लीवर एंड

बायलेरी साइंस, वंसतकुंज, डी०-1

नई दिल्ली 110070

पटना, दिनांक. . . . .

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                            | बीमारी का नाम       | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                           | 3                   | 4              | 5                                             |
| 1       | राजेश कुमार सिंह<br>पिता- हरि किशोर प्रसाद सिंह<br>ग्राम- हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी<br>बरारी<br>पो०+थाना- बरारी<br>जिला- भागलपुर | लिवर<br>सिरोसिस रोग | 75,000         | पचहत्तर हजार स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति में। |
|         |                                                                                                                             |                     | 75,000         |                                               |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176884 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50100143852078 खाता धारक का नाम-"इंस्टीच्युट आफ लीवर & बायलेरी साइंस" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच०डी०एफ०सी० बैंक, शाखा का नाम-Site No-2,OCF pocket, sector C, Vasant Kunj. New Delhi-110070, ब्रांच, RTGS/ IFSC कोड सं० HDFC0000273 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1170(14)

पटना, दिनांक 29/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196884 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
मेदान्ता द मेडिसिटी,  
सेक्टर-38, गुरुग्राम, हरियाणा,  
पिन-122001

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.04.2025 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                               | बीमारी का नाम       | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में।            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 1       | 2                                                                                                           | 3                   | 4              | 5                           |
| 1       | नन्द कुमार सिंह<br>पिता- स्प0 केशा सिंह<br>ग्राम- कैलाशपुर<br>पो0- सलथुआ<br>थाना- कुदरा<br>जिला- कैमूर भभुआ | हृदय रोग<br>सीएबीजी | 1,80,000       | एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।  |
| 2       | मो0 सफाअत करीम<br>पिता- समसुर रहमान<br>ग्राम+पो0- झारमहुई<br>थाना- चौतरवा<br>जिला- पश्चिम चम्पारण           | हृदय रोग<br>सीएबीजी | 1,35,000       | एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत। |
|         |                                                                                                             |                     | 3,15,000       |                             |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,15,000/- (तीन लाख पन्द्रह हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196887... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-106905001433, खाता धारक का नाम- ग्लोबल हेल्थ प्रा० लि०, पेयबल- दिल्ली/गुडगांव, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-ICICI Bank, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड स० ICIC0001148 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है,

इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1171(14)

पटना, दिनांक 29/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196884 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,  
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक .. .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सार्त निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                       | बीमारी का नाम              | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                   | 3                          | 4              | 5                                       |
| 1       | श्रवण कुमार<br>पिता- अरुण पासवान<br>ग्राम- कुर्जी बालूपर<br>पो0- सदाकत आश्रम<br>थाना- दीघा<br>जिला- पटना<br>सीआर न0- 2023042084     | हृदय रोग<br>सीएबीजी        | 1,50,000       | एक लाख पचास हजार स्वीकृत।               |
| 2       | विनीता देवी<br>पति- महेन्द्र प्रसाद साह<br>ग्राम+पो0- तिलई<br>थाना- सन्झौली<br>जिला- रोहतास<br>सीआर न0- 20241015283                 | Pure Red Cell<br>Aplasia   | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति में। |
| 3       | रानी कुमारी<br>पिता- सुनील कुमार सोनी<br>ग्राम- मोहन बिगहा<br>पो0- डिहरी<br>थाना- डेहरी<br>जिला- रोहतास<br>सीआर न0- 2022415701      | पेडीएट्रीक<br>सर्जरी (गला) | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति में। |
| 4       | प्रियम कुमार<br>पिता- अरविंद कुमार प्रसाद<br>ग्राम- शेखपरसा वार्ड 07<br>पो0+थाना- मांझागढ<br>जिला- गोपालगंज<br>सीआर न0- 20231112266 | Hirschprung's<br>Disease   | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति में। |

|    |                                                                                                                                           |                          |          |                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 5  | सविता कुमारी<br>पति- विनोद कुमार<br>ग्राम+पो0- सदुल्लाहपुर<br>थाना- लालगज<br>जिला- वैशाली<br>सीआर न0- 20231163531                         | कैसर रोग                 | 75,000   | पचहत्तर हजार<br>स्वीकृत।                        |
| 6  | सत्येद्र यादव<br>पिता- शिवजी चौधरी<br>ग्राम- बडकागांव<br>पो0- बरकागाव<br>थाना- मीरगज<br>जिला- गोपालगज<br>सीआर न0- 2025192348              | हृदय रोग<br>सीएबीजी      | 1,80,000 | एक लाख अस्सी हजार<br>स्वीकृत।                   |
| 7  | आयशा खातुन<br>पति- मो0 अकबर<br>ग्राम- अगरपुर<br>पो0+थाना- लालगज<br>जिला- वैशाली<br>सीआर न0- 2023284683                                    | Lupus<br>Nephritis       | 60,000   | साठ हजार स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति मे।        |
| 8  | खुशबु कुमारी<br>पिता- हरी शकर साह<br>ग्राम- सरेया<br>पो0+थाना- हुसैनगज<br>जिला- सिवान<br>सीआर न0- 20241015651                             | Hirschprung's<br>Disease | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति मे।          |
| 9  | कविता कुमारी<br>पति- मिथलेश कुमार<br>ग्राम+पो0- महदीपुर<br>थाना- पसराहा<br>जिला- खगडिया<br>सीआर न0- 2024301974                            | Renal AMC                | 75,000   | पचहत्तर हजार<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति मे। |
| 10 | उल्फत हुसैन<br>पिता- आस मोहम्मद<br>ग्राम- महुअवा मदरसा<br>पो0- बिशुनपुरा<br>थाना- जगदीशपुर<br>जिला- पश्चिम चम्पारण<br>सीआर न0- 2021292298 | कैसर रोग                 | 80,000   | अस्सी हजार स्वीकृत।                             |
| 11 | सोनू कुमार<br>पिता- धनेजर ठाकुर<br>ग्राम- मोआप खुर्द<br>पो0- खुटहॉ<br>थाना- इमादपुर<br>जिला- भोजपुर<br>सीआर न0- 2022118273                | Fistula Repair           | 40,000   | चालीस हजार स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति मे।      |

|    |                                                                                                                                      |                          |           |                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 12 | सरिता देवी<br>पति— संदीप राम<br>ग्राम— पुजहा पटजिरवा<br>पो0— पटजिरवा<br>थाना— श्रीनगर<br>जिला— पश्चिम चम्पारण<br>सीआर न0— 2022938040 | IVC Stenting             | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति मे।           |
| 13 | प्रीती सिंह<br>पति— राजीव कुमार सिंह<br>ग्राम— सिसवन<br>पो0— गगपुर सिसवन<br>थाना— सिसवन<br>जिला— सिवान<br>सीआर न0— 2025281343        | पैनक्रियाटिस<br>रोग      | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति मे।           |
| 14 | ममता पाठक<br>पति— अमित पाठक<br>ग्राम— पठखौली<br>पो0— मलकौली<br>थाना— बगहा<br>जिला— पश्चिम चम्पारण<br>सीआर न0— 20241190157            | सेलेरो डरमा              | 75,000    | पचहत्तर हजार<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति में। |
| 15 | विजय कुमार<br>पिता— रामानंद यादव<br>ग्राम— लकडा<br>पो0— दूधियावा<br>थाना— नवलपुर<br>जिला— पश्चिम चम्पारण<br>सीआर नं0— 2024797722     | बोन मैरो<br>ट्रांसप्लांट | 5,00,000  | पाँच लाख स्वीकृत।                                |
|    |                                                                                                                                      |                          | 18,35,000 |                                                  |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 18,35,000/- (अठारह लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196884. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम—"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1172(14)

पटना, दिनांक 29/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196887 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
सर सुन्दर लाल अस्पताल,  
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक . ....

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 24.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                        | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1       | 2                                                                                                                                    | 3             |                | 5               |
| 1       | ललित विजय<br>पिता— सत्यम कुमार<br>ग्राम— झाझरा टोला जितना<br>पो0— झाझरा<br>थाना— जितना<br>जिला— पूर्वी चम्पारण<br>एमआरडी न0— 7311636 | कैसर रोग      | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। |
| 2       | नेशात अफरोश<br>पति— जावेद खान<br>ग्राम— पतेरी<br>पो0— जमालपुर<br>थाना— चांद<br>जिला— कैमूर भभुआ<br>एमआरडी न0— 5610794                | कैसर रोग      | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। |
| 3       | उमेरा खातून<br>पति— मो0 हमीद मियां<br>ग्राम— राजा बिगहा<br>पो0— कैथी सादीपुर<br>थाना— आती<br>जिला— गया<br>एमआरडी नं0— 6756726        | कैसर रोग      | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। |
| 4       | चन्द्रदीप महतो<br>पिता— स्व0 सोमारु महतो<br>ग्राम— कांश<br>पो0— जोगिया<br>थाना— बरुण<br>जिला— औरंगाबाद<br>एमआरडी न0— 7274454         | कैसर रोग      | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। |

|    |                                                                                                                                               |                           |          |                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 5  | गुड्डू कुमार<br>पिता- श्री लाल मुखिया<br>ग्राम- सतभिडवा<br>पो0+थाना- मझौलिया<br>जिला- पश्चिम चम्पारण<br>एमआरडी न0- 7246584                    | Ankylosing<br>Spondilitis | 50,000   | पचास हजार<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति मे।    |
| 6  | नीतू कुमारी<br>पति- ओम प्रकाश यादव<br>ग्राम- कोथुआ, पो0- पितरो<br>थाना- अगिआँव<br>जिला- भोजपुर<br>एमआरडी न0- 6628543                          | किडनी रोग<br>Nephrology   | 60,000   | साठ हजार<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति में।    |
| 7  | पिटू कुमार<br>पिता- अतु चौधरी<br>ग्राम- बेल बीघा<br>पो0- वार, थाना- मदनपुर<br>जिला- औरंगाबाद<br>एमआरडी नं0- 7352815                           | न्यूरो रोग                | 70,000   | सत्तर हजार<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति मे।   |
| 8  | दिग्विजय कुमार यादव<br>पिता- सीताराम सिंह<br>ग्राम- नेवरास, पो0+थाना- कुदरा<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>ओपीडी न0- 25/22339                         | ट्रामा                    | 70,000   | सत्तर हजार<br>स्वीकृत।                          |
| 9  | सगीता देवी<br>पति- रामबाबू राउत<br>ग्राम- गगापुर, पो0- परशुरामपुर<br>थाना- पलनवा<br>जिला- पूर्वी चम्पारण<br>एमआरडी न0- 6349085                | कैंसर रोग                 | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।                                 |
| 10 | विद्यावती देवी<br>पति- प्रमोद राय<br>ग्राम- पिपरी<br>पो0- गोरी<br>थाना- करगहर<br>जिला- रोहतास<br>एमआरडी न0- 5788334                           | कैंसर रोग                 | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।                                 |
| 11 | मिलन देवी<br>पति- अखिलेश कुमार सिंह<br>ग्राम- खमीदौरा<br>पो0+थाना- दुर्गावती<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>एमआरडी न0- 6401538                        | किडनी रोग                 | 50,000   | पचास हजार<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति मे।    |
| 12 | राकेश शर्मा<br>पिता- श्री प्रकाश शर्मा<br>ग्राम- खडसन टोला महमूदगज<br>पो0- छाता<br>थाना- दूर्गावती<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>एमआरडी नं0- 6623468 | न्यूरो रोग                | 75,000   | पचहत्तर हजार<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति मे। |

|    |                                                                                                                                     |           |             |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 13 | जयकीचंद्र कुमार<br>पिता- राजमोहन राम<br>ग्राम- कल्हनुआ, पो0- कल्याणपुर<br>थाना- दुर्गावती<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>एमआरडी न0- 7330790 | ब्रेन रोग | 1,00,000    | एक लाख स्वीकृत। |
| 14 | मीना देवी<br>पति- सुदीश पांडेय<br>ग्राम- पांडेय टोला<br>पो0- सोनवल, थाना- मलाही<br>जिला- पूर्वी चम्पारण<br>एमआरडी न0- 4654968       | कैसर रोग  | 1,00,000    | एक लाख स्वीकृत। |
|    |                                                                                                                                     |           | ₹ 11,75,000 |                 |

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,75,000/- (ग्यारह लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~196884~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 27790100039150 खाता धारक का नाम- **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **Bank of Baroda**, शाखा का नाम- **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा **AIIMS** के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1174 (14)

पटना, दिनांक

29/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~196884~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
होमी भाभा कैंसर अस्पताल  
घंटी मिल रोड, लहरतारा,  
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा  
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                              | बीमारी का नाम    | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1       | 2                                                                                                                                             | 3                | 4              | 5               |
| 1       | मुकेश कुमार<br>पिता- सत्यदेव शर्मा<br>ग्राम+पो0- डुमरी छपिया<br>थाना- तरैया<br>जिला- सारण<br>केस फाईल न0-<br>16एफ2024/001779                  | कैंसर रोग        | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। |
| 2       | सस्कृति कुमारी<br>पिता- दिलीप कुमार<br>ग्राम+पो0- तुर्की खरारू<br>थाना- मीनापुर<br>जिला- मुजफ्फरपुर<br>केस फाईल नं0-<br>16एफ2025/000516       | ब्रेन ट्यूमर रोग | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। |
| 3       | कचन देवी<br>पति- शकर कुमार<br>ग्राम- महाजन टोली 1 जेल रोड<br>आरा<br>पो0- आरा<br>थाना- टाउन<br>जिला- भोजपुर<br>केस फाईल न0-<br>19एफ2025/000829 | कैंसर रोग        | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। |

|   |                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------|
| 4 | रवि कुमार शर्मा<br>पिता- अम्बिका प्रसाद शर्मा<br>ग्राम- दतियॉव<br>पो0- कुडासन<br>थाना- भभुआ<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>केस फाईल न0-<br>18एफ2025 / 000704                                               | कैसर रोग | 2,00,000 | दो लाख स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति मे। |
| 5 | कुमारी रिषिका<br>पिता- सजीव कुमार<br>ग्राम- नोनेया महतो टोला<br>पो0- नोनेया<br>थाना- पहाडपुर<br>जिला- पूर्वी चम्पारण<br>केस फाईल न0-<br>19एफ2024 / 005274                                          | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।                        |
| 6 | अखिलेश दुबे<br>पिता- श्री राम दुबे<br>ग्राम- मथुरापुर<br>पो0- बडकी महुली<br>थाना- करगहर, जिला- रोहतास<br>केस फाईल न0-<br>18एफ2024 / 007616                                                         | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।                        |
| 7 | सिमा देवी<br>पति- राजबश सिंह यादव<br>ग्राम- लेदरी<br>पो0- छोटका आमाव<br>थाना- चाद<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>केस फाईल न0-<br>18एफ2024 / 016317                                                         | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति मे। |
| 8 | सिमा देवी<br>पति- सुनील राव<br>ग्राम- दिउलिया<br>पो0- सिगडी बिगडी<br>थाना- रामनगर<br>जिला- पश्चिम चम्पारण<br>केस फाईल न0-<br>18एफ2024 / 017947                                                     | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।                        |
| 9 | अर्चना सिन्हा<br>पति- शैलेन्द्र प्रसाद वर्मा<br>ग्राम- संजय गाँधी नगर रोड न0-<br>8ए हनुमान नगर पटना<br>पो0- बी0 एच0 कॉलोनी<br>थाना- पत्रकार नगर<br>जिला- पटना<br>केस फाईल न0-<br>11एफ2024 / 004184 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।                        |

|    |                                                                                                                                                                    |           |           |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 10 | कचन देवी<br>पति- नन्द कुमार<br>ग्राम- बी0 डी0 पब्लिक स्कूल ईस्ट<br>नवादा आरा<br>पो0- नवादा आरा<br>थाना- नवादा<br>जिला- भोजपुर<br>केस फाईल न0-<br>18एफ2024 / 018572 | कैंसर रोग | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।   |
| 11 | किजल कुमार<br>पिता- उमेश शाह<br>ग्राम- ढेलाबाद<br>पो0- अमझोर<br>थाना- रोहतास<br>जिला- रोहतास<br>केस फाईल न0-<br>18एफ2024 / 015620                                  | कैंसर रोग | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।   |
| 12 | मास्टर कृषव कुमार<br>पिता- विनोद कुमार<br>ग्राम- धावाडीह<br>पो0- धनेज<br>थाना- करगहर<br>जिला- रोहतास<br>केस फाईल न0-<br>16एफ2025 / 000621                          | कैंसर रोग | 60,000    | साठ हजार स्वीकृत। |
|    |                                                                                                                                                                    |           | 12,60,000 |                   |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,60,000/- (बारह लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196881..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3675632747 खाता धारक का नाम- होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0280196 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

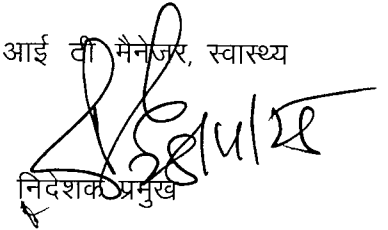
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1175(14)

पटना, दिनांक— 29/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 1768 81.. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

ARVACHIN HOSPITAL,

Plot No. 1700, Amara Khaira Chak,

Akhari Bypass NH 2,

(Near Delhi Public School)

Varanasi 221011.

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                            | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2                                                                                                           | 3             | 4              | 5                   |
| 1       | देवन्ती देवी<br>पति- रामाकान्त राम<br>ग्राम- कौडीराम<br>पो0- बेलौन्दी<br>थाना- मोहनियाँ<br>जिला- कैमूर भभुआ | कैसर रोग      | 80,000         | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 2       | करन कुमार<br>पिता- स्व0 हरिभजन चौधरी<br>ग्राम- राजा बाजार बिहिया<br>पो0+थाना- बिहिया<br>जिला- भोजपुर        | कैसर रोग      | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।     |
|         |                                                                                                             |               | 1,80,000       |                     |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176887 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 50200088951405 खाता धारक का नाम- **Arvachin Healthcare Private Limited**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **HDFC Bank**, शाखा का नाम- **Lohta, RTGS/IFSC** कोड स0 **HDFC0002166** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी

है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1176 (14)

पटना, दिनांक- 29/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 196881 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/.एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
टाटा स्मारक अस्पताल,  
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक . . .

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                                                                   | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                                  | 3             | 4              | 5                                              |
| 1       | विनय विरेश शर्मा<br>पिता- बिरेश प्रसाद शर्मा<br>ग्राम- बिदवारा रोड छोटी मिर्जापुर<br>थाना- कासिमबजार<br>पो०+जिला- मुंगेर<br>केस फाईल न०- बीयू/07092                                | कैंसर रोग     | 80,000         | अस्सी हजार स्वीकृत।                            |
| 2       | अरुण कुमार चौधरी<br>पिता- उपेन्द्र नारायण चौधरी<br>ग्राम+पो०- खरीक बाजार<br>थाना- खरिक<br>जिला- भागलपुर<br>केस फाईल न०- सीआर/15441                                                 | कैंसर रोग     | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।                                |
| 3       | धनंजय शर्मा<br>पिता- श्री जोगेश्वर शर्मा<br>ग्राम- अपोजिट कुल्हडिया कम्पलेक्स<br>बी० एन० कॉलेज पटना<br>पो०- बाकीपुर<br>थाना- पीरबहोर<br>जिला- पटना<br>केस फाईल न०- 11एफ2023/023359 | कैंसर रोग     | 60,000         | साठ हजार स्वीकृत।                              |
| 4       | बिनोद कुमार लाल<br>पिता- कृष्ण कुमार लाल<br>ग्राम- दाऊद बिगहा<br>पो०- बी० एच० कॉलोनी<br>थाना- अगमकुंआ<br>जिला- पटना<br>केस फाईल न०- 11एफ2024/015487                                | कैंसर रोग     | 1,50,000       | एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |

|   |                                                                                                                              |          |          |                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|
| 5 | निर्मला देवी<br>पति- नरेन्द्र कुमार राय<br>ग्राम+पो0- फतेहपुर चैन<br>थाना- अवतारनगर<br>जिला- सारण<br>केस फाईल न0- सीयू/04553 | कैसर रोग | 80,000   | अस्सी हजार स्वीकृत।      |
| 6 | इन्दु देवी<br>पति-शिवजी साह<br>ग्राम+पो0-छोटका सिंघनपुरा<br>थाना-सिमरी<br>जिला-बक्सर<br>केस फाईल न0-11एफ2024/033346          | कैसर रोग | 1,20,000 | एक लाख बीस हजार स्वीकृत। |
|   |                                                                                                                              |          | 5,90,000 |                          |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,90,000/- (पाँच लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान /अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~196884~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1002449683 खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी0एम0एच0, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1177(14)

पटना, दिनांक

29/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~196884~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0 14 /एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज  
आई0डी0ए0, स्कूडर रोड  
पी0 बी0 न0-3,भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                      | बीमारी का नाम                    | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                  | 3                                | 4              | 5                                               |
| 1       | सजय मेहता<br>पिता- लक्ष्मण मेहता<br>ग्राम- बरैचा<br>पो0- दारानगर<br>थाना- नौहट्टा<br>जिला- रोहतास<br>सीएमसी न0- एएच46599           | कैसर रोग                         | 1,80,000       | एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 2       | राजेश कुमार गुप्ता<br>पिता- लल्लु प्रसाद<br>ग्राम- अन्दर किला<br>पो0+थाना- टिकारी<br>जिला- गया<br>सीएमसी न0- 663843एच              | कैसर रोग                         | 1,80,000       | एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 3       | मो० यासीन असारि<br>पिता- मो० याकूब<br>ग्राम- बाबूगज बारह पत्थर<br>पो0- डिहरी<br>थाना- डेहरी<br>जिला- रोहतास<br>सीएमसी न0- 014825पी | हृदय रोग<br>सीएबीजी +<br>आईएबीपी | 1,80,000       | एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।                      |
| 4       | रोजी हयात<br>पिता- मो० जुबैर अहमद<br>ग्राम- गढी बिशनपुर<br>पो0- किउल आर० एस०<br>थाना+जिला- लखीसराय<br>सीएमसी न0- ईई17618           | Total<br>Thyroidectomy           | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।            |

|   |                                                                                                                                       |                                            |           |                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 5 | विश्वजीत कुमार<br>पिता- राजेन्द्र यादव<br>ग्राम- माया बिगहा<br>पो0- तेलडीहा<br>थाना- मदनपुर<br>जिला- औरंगाबाद<br>सीएमसी न0- 672131 डी | हृदय रोग<br>एमभीआर                         | 1,50,000  | एक लाख पचास हजार स्वीकृत।                    |
| 6 | सुमित कुमार<br>पिता- अशोक प्रसाद<br>ग्राम- बालूगज रोड वार्ड 02<br>पो0+थाना- दाउदनगर<br>जिला- औरंगाबाद<br>सीएमसी न0- एआई 22588         | हृदय रोग<br>(Takayasu<br>arteritis type V) | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति मे।       |
| 7 | सुभम कुमार सिंह<br>पिता- रमेश प्रसाद सिंह<br>ग्राम+पो0- गुलनि<br>थाना- शंभुगज<br>जिला- बाका<br>सीएमसी न0- एए59407                     | कैसर रोग                                   | 80,000    | अस्सी हजार स्वीकृत।                          |
| 8 | विश्वकर्मा कुमार<br>पिता- उपेन्द्र सिंह<br>ग्राम- बडी एरकी<br>पो0- चोकरा<br>थाना- मदनपुर<br>जिला- औरंगाबाद<br>सीएमसी न0- 603624 एच    | Post Transplant                            | 75,000    | पचहत्तर हजार स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति मे। |
|   |                                                                                                                                       |                                            | 10,45,000 |                                              |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,45,000/- (दस लाख पैतालीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196887 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.Vellore Association, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0बी0आई0, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001618 मे अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

- चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें ।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

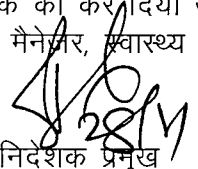
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1178(14)

पटना, दिनांक 29/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196887 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल,  
120/1, अंदुल रोड़,  
हावड़ा-711103

पटना, दिनांक . . . . .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                           | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2                                                                                          | 3             | 4              | 5                   |
| 1       | सफुरा<br>पति- मो० मकसूद आलम<br>ग्राम- इजरहटा<br>पो०- लहटा<br>थाना- मनीगाछी<br>जिला- दरभंगा | कैसर रोग      | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।     |
| 2       | निजहत परवीन<br>पति- मो० मोजाहीर<br>ग्राम+पो०- सुमेरा<br>थाना- कुडनी<br>जिला- मुजफ्फरपुर    | कैसर रोग      | 80,000         | अस्सी हजार स्वीकृत। |
|         |                                                                                            |               | ₹ 1,80,000/-   |                     |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड़, शाखा पटना के क्रास चेक स० 19.68.87... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-921030004381537, खाता धारक का नाम- मेरिडीयन मेडिकल रिसर्च, हौस्पीटल लि०, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-Axis Bank Ltd, शाखा का नाम-सी०बी०बी० बगलौर ब्रांच, हावड़ा वेस्ट बंगाल, RTGS/IFSC कोड स० UTIB 0001541 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधी मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी

गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

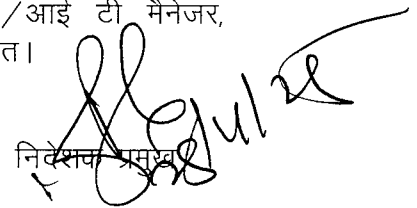
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1179(14)

पटना, दिनांक 29/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196881 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,  
पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन  
एड रिसर्च, चडीगढ- 160012

पटना, दिनांक. ..

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                            | बीमारी का नाम      | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                        | 3                  | 4              | 5                            |
| 1       | मुकेश कुमार<br>पिता- सिपाही पंडित<br>ग्राम- मश दुबे पटखौली<br>पो0- बथना<br>थाना- बैरिया<br>जिला- पश्चिम चम्पारण<br>सीआर न0- 202501097325 | कैसर रोग           | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।              |
| 2       | रामनाथ झा<br>पिता- शम्भुनाथ झा<br>ग्राम- पुराणी बाजार तेघरा<br>पो0+थाना- तेघडा<br>जिला- बेगूसराय<br>सीआर न0- 202302904141                | गुर्दा प्रत्यारोपन | 2,75,000       | दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
|         |                                                                                                                                          |                    | 3,75,000       |                              |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,75,000/- (तीन लाख पचहत्तर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स0- 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 ~~196887~~ .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर,पी0जी0आई0 प्राइवेट ग्रान्ट ए0/सी0 " खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड स0 01524 में अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code— SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

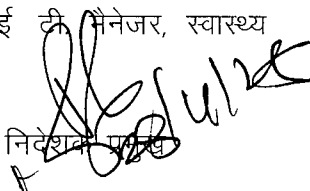
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1180(14)

पटना, दिनांक 29/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~1.26887~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

The Calcutta Medical Research Institute  
7/2 Diamond Harbour Road,  
Kolkata 700027

पटना, दिनांक..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.04.2025 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता<br>तथा अस्पताल की निबंधन<br>संख्या                               | बीमारी<br>का नाम      | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 1       | 2                                                                                    | 3                     | 4              | 5                |
| 1       | प्रवेज आलम<br>पिता- स्व० मो० इलियास<br>ग्राम- सीमा<br>पो०+थाना- सिलाव<br>जिला- नालदा | गुर्दा<br>प्रत्यारोपन | 3,00,000       | तीन लाख स्वीकृत। |
|         |                                                                                      |                       | 3,00,000       |                  |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 126887... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०- 039251000005, खाता धारक का नाम- THE CALCUTTA MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- ICICI BANK, शाखा का नाम- ALIPORE, RTGS/IFSC कोड स०- ICIC0000392 में अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त'बिहार लोक माग वसुली अधिनियम' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें ।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1181(14)

पटना, दिनांक

29/4/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~196881~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख